न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 178/2023

<u>अपीलान्ट</u> बनाम <u>रेस्पोडेन्टस</u>

1. आत्मराम
2. मंगलाराम पुत्रान खानूराम जातियान – मेघवाल निवासी– झाक, तहसील बायतू जिला बालोतरा

1. खंगाराराम
2. लोंगाराम पुत्रान सालगाराम जातियान– मेघवाल निवासी– झाक, तहसील बायतू, जिला बालोतरा
3. जोगाराम पुत्र मंगलाराम जातियान– जाट निवासी– झाक, तहसील बायतू, जिला–बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 03.04.2017 जो उपखंड अधिकारी बायतू के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 47/2017 अनवान खंगारारामबनाम लोंगाराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री मोहनलाल खत्री, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्टस बावजूद नोटिस तामीली सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 27 मार्च, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बायतू के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी खातेदारी की ग्राम झाक के खेत खसरा संख्या 544/309 रकबा 22.00 बीघा आया हुआ है जिसके पडौस में ही विप्रार्थीगण के खेत के सेढे आये हुए है जो पुराने होने से बिखर गऐ इस कारण स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से विप्रार्थीगण उनके खेत में जबरदस्ती कच्चे सेढा को तोड देते है, कब्जा इत्यादि कर लेते है। इस कारण से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात तामील होना मानकर प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस को सुनते हुए दिनांक 3.4.2017 के द्वारा नेखमबन्दी करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने अपील दिनांक 11.06.2018 को पेश की है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पोडेन्टस बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई एकपक्षीय बहस को सुना गया। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने बाबत कथन किया कि तत्मसय में रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के अन्दर घुसने की कोशिश कर नेखमबन्दी करने पर आमदा हुआ। तब उसके द्वारा बताया गया कि उनके हक में नेखमबन्दी का आदेश हो चुका है। तब अपीलान्ट को मालूम हुआ इससे पूर्व अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं हो सकी अतः अपील पेश करने में हुए सदभाविक विलम्ब को क्षमा करते हुए अपीलान्ट की अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विप्रार्थीगण की नोटिस तामील मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पो0 संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। ऐसे में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या एक की खातेदारी भूमि का मौके पर भूमि कब्जा राजस्व रेकर्ड अनुसार नहीं है और मौके पर कम जमीन कब्जे में है, इस कारण उसने बदनियती पूर्वक वास्तविक तथ्यों को छुपाते हए अपीलान्ट की कब्जा–काश्त वाली भूमि हडपने की नियत से उल्लेखित कार्यवाही कर नेखमबन्दी का आवेदन पेश कर दिया जो अस्वीकार करने योग्य था। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में भूमिधारी/तहसीलदार को पक्षकार भी नहीं बनाया जो अति–आवश्यक था, जिनसे भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक था। इस प्रकार उनका आवेदन चलने योग्य नहीं था।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने खेत खसरा संख्या 310 रकबा 46.15 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आवेदन संख्या 119/2017 पेश किया गया था जिसमें दिनांक 30.5.2017 को आदेश पारित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जब रेस्पो0 संख्या एक का आवेदन दिनांक 3.4.2017 को स्वीकार कर लिया गया था ऐसे में दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान किया जाकर नेखमबन्दी की कार्यवाही की जानी थी। इन आधारों पर भी अपीलान्ट की स्वीकार किये जाने व अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपने सभी पडौसी खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में राजस्व कार्मिकों के द्वारा जो पालना कार्यवाही की गई वो भी नियमानुसार सभी पक्षकारान की उपस्थिति में नहीं की गई और जल्दबाजी में सम्पादित की गई जिसकी शिकायत भी जिला कार्यालय को की गई जिसकी जॉच करवाने पर किये गये भूमि के दूरी में मौके में फर्द में अंकित नाप में भिन्नता पाई गई। ऐसे में अपीलाधीन कार्यवाही भी त्रुटिपूर्ण की गई है अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.4.2017 को निरस्त किया जावें।

हमने अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा ग्राम झाक के खसरा संख्या 544/309 रकबा 22.00 बीघा की अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर विप्रार्थीगण की तामीली पूर्ण होना मानकर प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर दिनांक 3.4.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण ने अपनी अपील में मुख्यतः यह कथन किया है कि अपीलार्थीगण की तामील पूर्ण होना मानकर पत्रावली में दिनांक 3.4.2017 आगामी तारीख रखी गई और उसी दिन रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया तथा मौके पर भूमि राजस्व रेकॅर्ड अनुसार नहीं होकर कम भूमि है तथा नेखमबन्दी कार्यवाही भी विधि अनुरूप नहीं की गई है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतू के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन प्रकरण में संस्थित दोनों पक्षकारान को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथोचित निर्णय पारित करें। निर्णय आज 27 मार्च, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर